राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 20-12-89 का कार्यालय ज्ञा॰ सं॰ 12024/9/89-रा॰भा॰ (ख-2)

विषय:— नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन और उनमें वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की आवश्यकता।

ऐसे नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित करने का निर्णय इस विभाग के दिनांक 22-11-76 के का॰ ज्ञा॰ संख्या 1/14011/12/76-रा॰ भा॰ (क-1) द्वारा लिया गया था। संबंधित नगरों में केन्द्रीय सरकार का जो वरिष्ठतम अधिकारी होता है वही सामान्यत: इस समिति का अध्यक्ष होता है।

2. इन समितियों के कार्य के संबंध में विस्तार से जानकारी इस विभाग के दिनांक 3-9-79 के का॰ ज्ञा॰ संख्या 12027/2/79-रा॰ भा॰ (ख-1) के द्वारा दी गई थी। समितियों के मुख्यत: निम्नलिखित कर्तव्य हैं:—

(क) राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा।

(ख) नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार।

(ग) हिन्दी के संदर्भ साहित्य, टाइपराइटरों, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों आदि की उपलब्धि की समीक्षा।

(घ) हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर विचार।

3. दिनांक 3-9-1989 के कार्यालय ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि नगर में स्थित सभी केन्द्रीय कार्यालय राजभाषा अधिनियम नियमों और समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में बैठक से एक सप्ताह पूर्व समिति के अध्यक्ष के पास 2 प्रतियों में भिजवायेंगे और एक-एक प्रति राजभाषा विभाग को भी भिजवाएंगे। इस संबंध में भी ध्यान दिलाया जाता है कि बैठकों में विशेष चर्चा के लिए कार्यसूची की मदें जो कि निम्न प्रकार से हैं; इस विभाग के दिनांक 22-9-88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12027/39/88-रा॰ भा॰ (ख-2) द्वारा सभी को भेजी गई थीं।

1. नगर स्थित कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची।
2. कार्यसूची की मदें।
3. गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
4. गत बैठक में लिए निर्णयों पर की गई कार्यवाही।
5. विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गए आंकड़ों की समीक्षा–निर्धारित लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार:—
   (क) कर्मचारियों का हिन्दी ज्ञान एवं प्रशिक्षण,
   (ख) हिन्दी टाइप/हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की स्थिति,
   (ग) हिन्दी टाइपराइटरों की स्थिति,
   (घ) धारा 3 (2) के अंतर्गत जारी किए गए कागजात की स्थिति,
   (ड़) हिन्दी में प्राप्त पत्रों की स्थिति,
   (च) पत्राचार की स्थिति,
   (छ) हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन की स्थिति,
   (ज) हिन्दी पदों की स्थिति,
   (झ) कार्यालयों के प्रयोग में आने वाली सामग्री–फार्म, मोहरों, नामपट्टों की स्थिति,
6. हिन्दी प्रतियोगिता की स्थिति।
7. वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन की स्थिति
8. अन्य कोई मद अध्यक्ष की अनुमति से।

अनुरोध है कि भविष्य में कार्यसूची तैयार करते समय उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखा जाए ताकि बैठकों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी चर्चा परिणामपरक हो सके।

4. समितियों की बैठकों में महत्वपूर्ण चर्चा होती है और कुछ नीतिगत मुद्दों पर निर्णय भी लेने होते हैं, इसलिए इस विभाग के दिनांक 22-1-83 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12027/1/83-रा॰भा॰ (ख-2) द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि समितियों की बैठकों में स्थानीय कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष स्वयं भाग लें। यदि किसी विशेष स्थिति में वे स्वयं भाग न ले पाएं तो अन्य वरिष्ठ अधिकारी को ही भाग लेने के लिए भेजें।

5. भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा नियम 1976 के कार्यान्वयन की स्थिति पर नजर रखने तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में उनके क्षेत्र में स्थित अन्य सभी केन्द्रीय कार्यालयों में गठित राजभाषा

कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के आयोजन में सहयोग करने हेतु राजभाषा विभाग के अंतर्गत निम्नांकित नगरों में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं। उनका कार्यक्षेत्र उनके नाम के सामने दर्शाया गया है:

	कार्यालय का पता		कार्यक्षेत्र
	1	2	
1.	उप निदेशक (का॰)	1.	महाराष्ट्र
	क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम)	2.	गुजरात
	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	3.	गोवा
	तीसरा माला कामर्स हाउस,	4.	दादरा एवं नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)
	करीमभाई रोड, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई-4000381।		
2.	उप निदेशक (का॰)	1.	पश्चिम बंगाल
	क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व)	2.	उड़ीसा
	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	3.	बिहार
	18वां तल द्वितीय बहुतलीय	4.	अंडमान निकोबार द्वीप।
	भवन, 234/4 आचार्य जे॰सी॰-		
	बोस रोड, निजाम पैलेस परिसर, कलकत्ता।		
3.	उप-निदेशक (का.)	1.	आंध्र प्रदेश
	क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण)	2.	कर्नाटक
	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय		
	5/1 जे.सी. रोड, बैंगलूर-2		
4.	उप निदेशक (का.)	1.	पंजाब
	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर)	2.	हरियाणा
	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	3.	उत्तर प्रदेश
	कमरा नं॰ 305, सी.जी.ओ. भवन	4.	हिमाचल प्रदेश
	कमला नेहरू नगर,	5.	चंडीगढ़
	गाजियाबाद।	6.	जम्मू व काश्मीर
		7.	दिल्ली।
5.	उप निदेशक (का.)	1.	आसाम
	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व)	2.	अरुणाचल प्रदेश,
	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	3.	मिजोरम
	तीसरी मंजिल, छाया राम	4.	त्रिपुरा
	कुमार भवन, चाराली,	5.	नागालैण्ड
	ए.टी. रोड, गुवाहाटी।	6.	मणिपुर,
		7.	मेघालय,
		8.	सिक्किम
6.	उप निदेशक (का.)	1.	केरल,
	क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण पश्चिम),	2.	तमिलनाडु,

विल्लरशोरिल भवन,
27/649 वी महात्मा गांधी
मार्ग, मानुर, कोचीन

3. पाण्डिचेरी।

7. उप निदेशक (का.)
क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय

1. मध्य प्रदेश,
2. राजस्थान

8. उपनिदेशक (कार्यान्वयन)
क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली),
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023

6. देखा गया है कि कई सदस्य कार्यालय से निर्धारित प्रोफार्मा में प्रगति रिपोर्ट यथा समय समितियों को नहीं प्राप्त होती है। फलस्वरूप ऐसे कार्यालयों में राजभाषा के कामकाज की प्रगति की समीक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे कार्यालयों की सूची और जिन कार्यालयों के अध्यक्ष लगातार बैठकों में शामिल नहीं होते, उनका विवरण भी संबद्ध क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय तथा राजभाषा विभाग को भिजवाने की कृपया व्यवस्था करें जिससे यह मामला संबंधित विभाग के साथ भी उठाया जा सके। इस संबंध में यह भी उपयुक्त होगा कि समिति के अध्यक्ष भी इस विषय में संबंधित कार्यालय अध्यक्ष का ध्यान अवश्य आकर्षित करें।

7. ऐसा भी देखा गया है कि कुछ नगरों में इन समिति की बैठकें समय पर आयोजित नहीं होती हैं तथा उनकी सूचना समय पर सभी संबंधितों को नहीं मिल पाती है जिससे वे बैठकों में नहीं आ पाते। अत: सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों से अनुरोध है कि वे कृपया नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में 2 बैठकें 6 माह के अंतराल पर आयोजित करना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय को कम से कम एक माह पहले दी जाए ताकि नगर के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष तथा राजभाषा विभाग के अधिकारी इन बैठकों में भाग लेना सुनिश्चित कर सकें।

8. उपर्युक्त प्ररिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न कार्यालयों ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आयोजित की जाएं तथा सभी संबंधितों को पर्याप्त समय रहते सूचना भेजी जाए। बैठक की कार्यसूची तथा पिछली बैठक का कार्यवृत्त भी समिति, सभी सदस्यों एवं राजभाषा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों एवं उप सचिव (का॰) को यथा समय भिजवाएं।